

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

फ़ॉन्स- 05944 242400 फैक्स- 05944 243316

पत्रांक- 1427 / कर कक्ष/ 2022-23 P.B

दिनांक- 6-8-22

"ई-निविदा सूचना"

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा सार्वजनिक शीघ्रालयों में विज्ञापन होटिंग लगाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	सार्वजनिक शीघ्रालयों में विज्ञापन होटिंग लगाये जाने हेतु निविदा	दि १५.८.२२ के 11:00 AM से दि २५.८.२२ के 11:30 AM तक	दि २५.८.२२ के 12:00 PM	कक्ष सं १२

उपरोक्त ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की जियम व शात नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापाल
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

फ़ॉन्स- 05944 242400 फैक्स- 05944 243316

पत्रांक- 1427/1 / कर कक्ष/ 2022-23 P.B

दिनांक- 6-8-22

1427/6

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चर्पा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक **अमर-उत्तराखण्ड रिन्झरेटर** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक **२५.८.२२** के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का काष्ट करें।
- श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इआ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्ते उल्लाखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टैप्डर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चर्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली)
नियमावली 2015 के अनुपालन में –नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक शौचालयों पर होर्डिंग
लगाने जाने हेतु ई-निविदा (2022-24) की शर्तें एवं प्रावधान:-

1. सार्वजनिक शौचालयों पर विज्ञापन लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मात्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि ₹0 2,22,000.00 (₹0 दो लाख बाईस हजार मात्र) 02 वर्ष तक के लिये निर्धारित है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरे (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निवधन उत्तराखण्ड देहरादून के समय-समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अनित्य एवं मात्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) किन्ही 03 वर्षों का प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर ₹0 5,00,000.00 मात्र का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या ₹00ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण / Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मात्य) मूल प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द-खुर्द नहीं किया गया हैं, ई-निविदा के साथ-साथ निविदा प्रपत्र की रवप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (22,200.00) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिनूति राशि यदि कोई हो तो जब कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. अपरिहार्य कारणों से यदि समय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की घृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।
10. शौचालयों की दीवारों एवं छतों पर निर्धारित की गयी माप के अनुसार ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जायेंगे।
11. होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
12. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। “निविदादाता इस आशय का रापथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है।”
13. शौचालयों पर होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
14. शौचालयों पर लगने वाले विज्ञापनों पर विजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा शौचालय पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वयं के व्यय पर करना होगा।
15. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में धृणा केलाने, साम्प्रदायिक सौडाई को बिगाढ़ाने वाले ना हो एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेकें के प्रविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।
17. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
18. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
19. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी निगम/जिला प्रशासन/मा० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

20. होर्डिंग लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी०पी० एफ०, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्थायं करनी होगी।
21. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा दिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
22. सभी होर्डिंग का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित व्यारे के अनुसार ही रखना होगा।
23. प्रत्येक विज्ञापन पट्ट / होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होंगे।
24. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी० से अधिक नहीं होगी।
25. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।
26. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली-भाति मरम्मत किये जाये, जो कि हौँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा उन पर मोर्चा लगाने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।
27. विज्ञापन पट्ट / होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
28. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी०पी०पी० मोड में प्रस्तुवित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
29. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण नियारण नियमावली 2009 में विहीत प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
30. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अतिम ब मात्य होगा।
31. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
32. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्त अनुबंध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबंधकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रु० 5,000/- दूसरी बार में रु० 10,000/- जुर्माना द

तीसरी बार में टेके निरस्त करते हुए जमानत धनशाशि जब करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

37. स्कैप की नीलामी— नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्मों, गार्टर, यूनीफोल, जाल, एगिल, घिल, घेरा, ढाँचा आदि को चाहें वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़जा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब कर लेगा तथा स्कैप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निरस्तारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि—

- (क) निविदा दरे निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, धृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनीतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी स्थिति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो,
- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो;

सार्वजनिक शौचालयों में होर्डिंग लगाये जाने हेतु चयनित स्थल

क्र. सं.	स्थल	साइज	
		दीवार पर	छत पर
1	अटरिया रोड सिडकुल ढाल पर (हाईटेक)	7x10	
2	गॉधी पार्क (हाईटेक)	7x16	
3	गल्ला मण्डी रोड	9x10	23x4
4	प्रिंस चौक के पास गल्ला मण्डी	9x6	
5	घास मण्डी रोड	8x6	30x4
6	बाटा चौक के पास		23x4
7	बस स्टैण्ड (भीतर)	8x14, 8x14	
8	बस स्टैण्ड (बाहर)		18x4
9	सब्जी मण्डी के पास	7x16	
10	पप्पू ढाबा के सामने ब्लॉक के मोड पर	6x4	

विज्ञापन शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार हैं:-

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	8. 8. 22	11.00 AM
2	Documents download start date	8. 8. 22	11.00 AM
3	Bid submission start date	8. 8. 22	11.00 AM
4	Bid submission End date	24. 8. 22	11.30 AM
5	offline submission of hard/ original cop documents End Date	24. 8. 22	11.30 AM
6	Bid Opening Date	24. 8. 22	12.00 PM

(निशा दूबे)

कर एवं राजस्व मौहरिर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(लता आयो)

कर अधीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

सहायक नगर आयुक्त

नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(विशाल भिश्मा)

I.A.S
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

(समपाल सिंह)

मा० महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com
(टूर्ट्स- 05944-242400 फैक्स- 05944-243316)



निविदा प्रपत्र शुल्क- निःशुल्क

शौचालय पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा फॉर्म

1. निविदादाता का नाम—
2. पुत्र श्री—
3. पता—
4. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम—
5. जमानत धनराशि— रु० (शब्दों में)
6. एफ०डी०आर० / सी०डी०आर० नं०
7. बैंक का नाम—
8. शौचालय पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का स्थल—

A- अटरिया रोड सिडकुल ढाल पर (हाईटेक)	B - गॉधी पार्क (हाईटेक)
C - गल्ला मण्डी रोड	D - प्रिस चौक के पास गल्ला मण्डी
E - घास मण्डी रोड	F - बाटा चौक के पास
G - बस स्टैण्ड (भीतर)	H - बस स्टैण्ड (बाहर)
I - सब्जी मण्डी के पास	J - पप्पू ढाबा के सामने ब्लॉक के मोड़ पर

9. निविदा राशि अकों में— रु० (शब्दों में)

निविदादाता के हस्ताक्षर—.....

निविदादाता का नाम—.....

निविदादाता का पूरा पता—.....